UPFT–010023922026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–02, फतेहपुर।

उपस्थितः–पूजा विश्वकर्मा–––––––उच्चतर न्यायिक सेवा(उ०प्र०)

जे०ओ० कोड–UP–1542

सत्र परीक्षण संख्या–575/2005

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1007 सन् 2026

दिनेश यादव उम्र लगभग 35 वर्ष, पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम रमईपुर थाना विधनू जिला कानपुर नगर हाल पता ग्राम व थाना सिसोलर जिला हमीरपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

मुकदमा अपराध संख्या–39/2005
धारा–147, 148, 302/34 भा०दं०सं०
थाना–खागा, जिला फतेहपुर।

15.06.2026

यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **दिनेश यादव** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–39/2005 धारा–147, 148, 302/34 भा०दं०सं०, थाना–खागा, जिला फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त मामले में अभियुक्त आत्मसमर्पण होकर जिला कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ रामगोपाल पुत्र स्व० जुगुल किशोर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन का संक्षेप में कथानक यह है कि दिनांक 15.04.2004 को शाम करीब 8.00 बजे से रात 12.00 बजे के मध्य बहद ग्राम पुराइन, थाना खागा जनपद फतेहपुर में दिनेश यादव अपने अन्य चार साथियों के साथ मिलकर वाहन आयशर केन्टर संख्या U.P. 78AN6591 के चालक दिलीप कुमार की हत्या धारदार शस्त्र से गर्दन आदि पर चोट करके कारित की गई।

जमानत प्रार्थना पत्र जो कि शपथपत्र से समर्थित है, जिसमें प्रमुख रूप से कथन किया गया है कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में फर्जी अभियुक्त करार किया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में पूर्व में न्यायालय द्वारा जमानत पर है तथा बिना जमानतीय वारन्ट के तहत परोक्त वाद में स्वयं न्यायालय में आत्म समर्पण कर के जेल न्यायालय के आदेश के तहत भेजा गया तथा अभियुक्त उपरोक्त, उपरोक्त अपराध में वारन्ट के तहत जेल में है। प्रार्थी पूर्व में 2018 में टी०बी० की बीमारी पड़ गयी थी जिसका इलाज चलता रहा तथा कुछ बीमारी से ठीक

Digitally signed by POOJA VISHWAKARMA
Date: 2026.06.15 11:51:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

होने के बाद कोविड–19 लग जाने के कारण न्यायालय नहीं आ सका था जिसके कारण दिनांक 22–04–2019 को N.B.W. की कार्यवाही की गयी है जबकि प्रार्थी की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र भी दिया गया तथा न्यायालय की कोई भी कार्यवाही नहीं बाधित हुई थी तथा बीमार में कुछ सुधार होने पर मजदूरी करने सूरत चला गया था और कोविड–19 के बाद तिथि की जानकारी नहीं हुई । प्रार्थी ने न्यायालय ने आने की भूल जानबूझ कर के नहीं की है महेज बीमारी व कोविड–19 के कारण न्यायालय नहीं आ सका था जिस कारण N.B.W. की कार्यवाही की गयी है। प्रार्थी ने जब जानकारी किया तो मालुम होने पर स्वयं न्यायालय हाजिर हुआ है। प्रार्थी के वाद में चश्मदीद साक्षी व अन्य फैक्ट के साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा न्यायालय रिक्त है तथा प्रार्थी जिला हमीरपुर का रहने वाला है। प्रार्थी उपरोक्त केस में स्वयं न्यायालय उपस्थित होकर के दिनांक 30/05/2026 से जेल में है तथा पूर्व में जमानत पर था तथा N.B.W. के तहत जेल जाने के बाद यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के केस में अन्य अभियुक्त सतीश कुशवाहा की मृत्यु हो जाने के कारण हाजिरी में वाद चल रहा था। प्रार्थी की बिना जमानतीय वारन्ट में जेल जाने के बाद यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है न तो माननीय उच्च न्यायालय में दी गयी है न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुई है। प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने के बाद प्रत्येक तिथि पर हाजिर अदालत होगा तथा किसी भी साक्षी व गवाहान को जेरबार व परेशान नहीं करेगा। प्रार्थी की पूर्व की दाखिल जमानत निरस्त नहीं हुई है। प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने के बाद जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा भविष्य में न्यायालय उपस्थित रहेगा तथा भविष्य में न्यायालय न आने की भूल नहीं करेगा। प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अभियोजन की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कहा गया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व जमानत का दुरूपयोग किया गया है तथा जमानत के बाद पुनरावृत्ति कर सकता है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गैर जमानतीय व गंभीर प्रकृति का है, वह जमानत पाने का पात्र नहीं है।

जमानत प्रार्थनापत्र, पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुनी तथा अभियोजन प्रपत्रों के केस डायरी के पर्चों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के अनुपस्थित होने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र का आदेश पारित किया गया था। अभियुक्त एन०बी०डब्लू० पर आत्मसमर्पण कर दिनांक 30.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वाद साक्ष्य के स्तर पर लम्बित है। अभियुक्त द्वारा अनुपस्थिति का आधार बीमारी बताया गया है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत गुण–दोष पर राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का समुचित आधार प्रतीत होता है। तदनुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **दिनेश यादव** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1007 सन 2026 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्त द्वारा **मु०–50,000/– रूपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा।

2. अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा और न ही उन्हें धमकायेगा।

3. अनावश्यक रुप से स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं देगा तथा विचारण में पूरा सहयोग करेगा।

4. बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त देश नहीं छोड़ेगा।

5. कार्यालय लिपिक/अहलमद को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाबाद द्वारा निर्गत C.L. No. 07/Admin. 'G–II' Dated 14.03.2023 Compliance of order/Judgment dated 31.01.2023 passed by Hon'ble Supreme Court in Suo Moto Writ Petition (Crl.) No. 04 of 2021 titled as in Re: Policy Strategy for Grant of Bail. के आलोक में इस आदेश की Soft Copy द्वारा e–mail बन्दी अभियुक्त को जरिये अधीक्षक कारागार प्रेषित की जाये।

दिनांक 15.06.2026

(पूजा विश्वकर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–02, फतेहपुर।